

**FIRST INFORMATION REPORT**  
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)  
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024  
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0247 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 05/11/2024 14:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/01/2015 Date To (दिनांक तक): 31/12/2018  
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 10:00 बजे  
Time (समय): 12:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/11/2024

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय): 05/11/2024 14:32:35 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 40 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): DISTRICT SIKAR, GRAM PANCHAYAT DHAOLASARI, PANCHAYAT SANITI DATARAMGARH

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SUBASH MEEL

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 17/07/1983

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	4/4, GOVERNMENT QUARTER, GANDHI NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	4/4, GOVERNMENT QUARTER, GANDHI NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHINVARAM BALAI		पिता:TIKURAM BALAI	1. DHAOLASARI,DANTA RAMGARH,SIKAR,RAJASTHAN, INDIA
2	RIDHKARAN REGAR		पिता:PANCHURAM	1. GRAM PACHAR VAYA KHACHRIYAWAS,DANTA RAMGARH,SIKAR,RAJASTHAN, INDIA
3	KAYAM SINGH		पिता:INDRA SINGH	1. BUBANA,DANTA RAMGARH,SIKAR,RAJASTHAN,
4	ISHWAR SINGH		पिता:BACHCHAN SINGH	1. BUBANA,DANTA RAMGARH,SIKAR,RAJASTHAN,
5	BHAWARLAL MEENA		पिता:DHUKLARAM	1. DHAOLASARI,DANTA RAMGARH,SIKAR,RAJASTHAN, INDIA

6	SURAJMAL		पिता:CHIMANARAM	1. CHNDELI KA BAS,DANTA RAMGARH,SIKAR,RAJASTHAN, INDIA
7	HUKMARAM		पिता:BHURARAM	1. GUVARDI,DANTA RAMGARH,SIKAR,RAJASTHAN,
8	THAN SINGH		पिता:GANPAT SINGH	1. BUBANA,DANTA RAMGARH,SIKAR,RAJASTHAN,
9	MOTIRAM		पिता:NARAYANRAM	1. CHNDELI KA BAS,DANTA RAMGARH,SIKAR,RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)  
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	नब्बे हजार पन्द्रह रूपये की राजस्व की हानि पहुँचाना	90,015.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 90,015.00  
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)  
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

महोदय, श्री रामनिवास चंदेलिया पुत्र श्री जगदीश प्रसाद चंदेलिया निवासी चंदेली का बास पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर ने एक शिकायत ब्यूरो मुख्यालय को पेश कि की ग्राम पंचायत धौलासरी द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कर सरकारी कोष का दुरुपयोग के साथ ही सरकारी सम्पत्ति का नुकसान किया जा रहा है। उक्त शिकायत पर सम्बन्धित विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से धारा 17-ए भ्र.नि.अधि. 1988 (यथा संशोधित 2018) का पूर्वानुमोदन प्राप्त होने पर प्राथमिक जांच संख्या 71/2023 दिनांक 29.12.2023 श्री भीवाराम बलाई तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धौलासरी, पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर एवं श्री रिद्धकरण रैगर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धौलासरी पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर हाल सेवानिवृत्त के विरुद्ध पंजीबद्ध कर जांच श्री सुरेश चन्द, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो सीकर द्वारा की जाकर श्री शिवओम मीणा सचिव ग्राम पंचायत धौलासरी पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर व परिवादी श्री रामनिवास चन्देलिया के बयान लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण का स्पष्टीकरण लिया गया। आरोपो से सम्बन्धित सुसंगत रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। प्राथमिक जाँच के सत्यापन से पाया कि ग्राम पंचायत धौलासरी के तत्कालीन सरपंच श्री भीवाराम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रिद्धकरण द्वारा आबादी भूमि में वर्षों से आवास कर रहे परिवारों को नियम 157 के तहत पुराने ग्रहों का विनियमितीकरण कर अधिकांश परिवारों के पट्टे जारी किये गये। नियम 157 के तहत विनियमितीकरण करते समय एक व्यक्ति को 300 वर्गगज का पट्टा 200 रूपये में दिया जाता है। 300 वर्गगज से अधिक भूमि का डीएलसी दर का 25 प्रतिशत की दर पट्टाधारक से वसूल करना चाहिये। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय निम्न लाभार्थियों को दो-दो पट्टे/पति पत्नी को अलग-अलग पट्टे 300 वर्गगज से ज्यादा क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत वसूल कर पंचायत कोष में जमा होना चाहिये था, जो नहीं होकर कम मात्रा में जमा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि पट्टा जारी करने में अनियमितता की गई, जिससे 90,015 रूपये की पंचायत कोष को हानि एवं लाभार्थी को अनुचित लाभ दिया गया है, जो निम्नानुसार है- क्रम संख्या पट्टा संख्या पट्टाधारक का नाम पिता/पति का नाम गांव का नाम पट्टे का क्षेत्रफल पति पत्नी दोनों के पट्टों का क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक भूमि का क्षेत्रफल डीएलसी दर 25 प्रतिशत पट्टा धारकों से वसूली योग्य राशि 1 43/196 श्री कायमसिंह श्री इन्द्रसिंह बुबाना 197.33 वर्गगज 387.44 वर्गगज 87.44 वर्गगज 52 रूपये प्रति

वर्गगज 4547 रूपये 2 44/198 श्री कायमसिंह श्री इन्द्रसिंह बुबाना 190.11 वर्गगज 3 98/196 श्री ईश्वरसिंह श्री बच्चनसिंह बुबाना 234.42 वर्गगज 531.80 वर्गगज 231.80 वर्गगज 52 रूपये प्रति वर्गगज 12054 रूपये 4 34/07 हरकंवर श्री ईश्वरसिंह बुबाना 297.38 वर्गगज 5 10/07 भंवरलाल धुकलराम धौलासरी 297.50 वर्गगज 415.83 वर्गगज 115.83 वर्गगज 119 रूपये प्रति वर्गगज 13784 रूपये 6 37/07 श्रवणी देवी भंवरलाल धौलासरी 118.33 वर्गगज 7 18/07 सूरजमल चिमनाराम चन्देली का बास 299.72 वर्गगज 539.60 वर्गगज 239.60 वर्गगज 48 रूपये प्रति वर्गगज 11501 रूपये 8 23/07 भंवरी देवी सूरजमल चन्देली का बास 239.88 वर्गगज 9 51/07 मीरा देवी मोतीराम चन्देली का बास 292.44 वर्गगज 889.19 वर्गगज 589.19 वर्गगज 48 रूपये प्रति वर्गगज 28281 रूपये 10 53/07 नन्दलाल मोतीराम चन्देली का बास 299.91 वर्गगज 11 52/07 मोतीराम नारायणराम चन्देली का बास 296.84 वर्गगज 12 77/07 हुकमाराम भूराराम गुवारडी 259.11 वर्गगज 528.55 वर्गगज 228.55 वर्गगज 43 रूपये प्रति वर्गगज 12408 रूपये 13 78/07 बिमला देवी हुकमाराम गुवारडी 269.44 वर्गगज 14 72/196 थानसिंह गणपतसिंह बुबाना 153.75 वर्गगज 443.08 वर्गगज 143.08 वर्गगज 52 रूपये प्रति वर्गगज 7440 रूपये 15 73/196 आसकंवर थानसिंह बुबाना 289.33 वर्गगज उक्त के अलावा पट्टा संख्या 92 दिनांक 08.06.2018 को नियम 157(1) के तहत पट्टा श्री मंगलाराम चन्देलिया पुत्र श्री तुलसाराम जाट, निवासी चन्देलिया बास थाना दातारामगढ जिला सीकर को 200 रूपये जमा कर जारी किया गया था। भूखण्ड पुराने गृहो की विनियमितकरण की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त पट्टा सहकारी समिति को भेंट किया गया, उसकी कीमत 46600 रूपये दानपत्र में अंकित की गई है, जिससे ग्राम पंचायत धौलासरी को 46600 रूपये की राजस्व हानि हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत धौलासरी की रसीद संख्या 65/54 दिनांक 06.04.2019 से 28453 रूपये व रसीद संख्या 13/20 दिनांक 30.06.2022 के द्वारा 18147 रूपये कुल 46600 रूपये पंचायत में जमा करवाये गये है। इसी प्रकार खातेदारी भूमि खसरा नं. 687/736 ग्राम चन्देलिया का बास में सीसी ब्लॉक का कार्य करवाया गया था, जिसमें खातेदार ने खसरा नम्बर 687/736 रकबा 2.13 है० में से 0.0426 है० भूमि को ग्राम पंचायत को जरिये विक्रय पत्र दान किया गया है। इसी प्रकार पानी की टंकी व ट्यूबवेल की एनओसी जारी हुई थी, वह भूमि भी खातेदार द्वारा पंचायत को दान की जा चुकी है। इस प्रकार प्राथमिक जांच के सत्यापन से पाया गया कि आरोपीगण 1.श्री भीवांराम बलाई पुत्र श्री टीकुराम बलाई, जाति मेघवाल, उम्र-44 वर्ष, निवासी धौलासरी थाना दातारामगढ जिला सीकर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धौलासरी, पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर 2.श्री रिद्धकरण रैगर पुत्र श्री पांचूराम जाति रैगर, निवासी ग्राम पचार वाया खाचरियावास, पुलिस थाना दातारामगढ जिला सीकर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धौलासरी पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर हाल सेवानिवृत्त 3.श्री कायमसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी बुबाना थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 4.श्री ईश्वरसिंह पुत्र श्री बच्चनसिंह जाति राजपूत, निवासी बुबाना थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 5.श्री भंवरलाल मीणा पुत्र श्री धुकलराम, जाति मीणा, निवासी धौलासरी थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 6.श्री सूरजमल पुत्र श्री चिमनाराम, जाति जाट, निवासी चन्देली का बास, थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 7.श्री हुकमाराम पुत्र श्री भूराराम, जाति वर्मा, निवासी गुवारडी, थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 8. श्री थानसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह, जाति राजपूत, निवासी बुबाना थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 9.श्री मोतीराम पुत्र श्री नारायणराम, जाति जाट, निवासी चन्देली का बास थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण ने आपस में मिलीभगत कर पट्टा जारी करने में अनियमितता कर पंचायत कोष को हानि पहुँचाकर लाभार्थीगण को अनुचित लाभ देना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है, जो अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (सी)(डी), सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120 बी भा.द.स. की तारीफ में आता है। अतः उपरोक्त आरोपीगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सीपीएस एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (सुभाष मील) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120 बी भा.द.स. में आरोपीगण 1.श्री भीवांराम बलाई पुत्र श्री टीकुराम बलाई, जाति मेघवाल, उम्र-44 वर्ष, निवासी धौलासरी थाना दातारामगढ जिला सीकर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धौलासरी, पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर 2.श्री रिद्धकरण रैगर पुत्र श्री पांचूराम जाति रैगर, निवासी ग्राम पचार वाया खाचरियावास, पुलिस थाना दातारामगढ जिला सीकर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धौलासरी पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर हाल सेवानिवृत्त 3.श्री कायमसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी बुबाना थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 4.श्री ईश्वरसिंह पुत्र श्री बच्चनसिंह जाति राजपूत, निवासी बुबाना थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 5.श्री भंवरलाल मीणा पुत्र श्री धुकलराम, जाति मीणा, निवासी धौलासरी थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 6.श्री सूरजमल पुत्र श्री चिमनाराम, जाति जाट, निवासी चन्देली का बास, थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 7.श्री हुकमाराम पुत्र श्री भूराराम, जाति वर्मा, निवासी गुवारडी, थाना दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 8. श्री थानसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह, जाति राजपूत, निवासी बुबाना थाना

दातारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण 9.श्री मोतीराम पुत्र श्री नारायणराम, जाति जाट, निवासी चन्देली का बास थाना दांतारामगढ जिला सीकर, लाभार्थीगण के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 23 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1349-54 दिनांक 05-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2, जयपुर। 2- आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचयातीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सीकर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर। 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर (प्राथमिक जाँच संख्या 71/2023) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): Ravindra Singh Rank उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक  
(जाँच अधिकारी का नाम): Shekhawat (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey  
Location: Rajasthan,IN  
Date: 05/11/2024 14:27



15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):



N.C.R.B/एन.सी.आर.बी  
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I


These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.  
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)